

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अक्टूबर, 2016

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के सभी जिलों में मनः प्रभावी मादक पदार्थों के रख-रखाव हेतु **Storage facilities** के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित संशोधित प्राक्कलित राशि ₹ 550.22 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख बाईस हजार ₹0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं ₹ 550.22 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख बाईस हजार ₹0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक-4395, दिनांक-04.10.2016 के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के सभी जिलों में मनः प्रभावी मादक पदार्थों के रख-रखाव हेतु **Storage facilities** के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित संशोधित प्राक्कलित राशि ₹ 550.22 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख बाईस हजार ₹0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं ₹ 550.22 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख बाईस हजार ₹0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त निर्माण कार्य के लिए तीन प्रकार का मॉडल तैयार किया गया है। प्रत्येक मॉडल का प्राक्कलित राशि एवं संख्या निम्नप्रकार है:-

Sl.No.	Description	Estimated Amount per Unit (in. Rs)	No. of Unit	Estimated Amount (in. Rs)
1.	Store Room (Model-1)	2000800	17	34013600
2.	Store Room (Model-2)	1000400	13	13005200
3.	Store Room (Model-3)	500200	16	8003200
Grand Total			46	55022000

Five Crore Fifty Lakh Twenty Two Thousand only

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 550.22 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख बाईस हजार ₹0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट शीर्ष-“4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण” विपत्र कोड-P4055000510101 एवं विषय शीर्ष-53 01 -मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड-HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0-6/योजना-01-52/2016गृ0आ0 के टि0 पृ0 9/टि0 पर दिनांक-19.10.2016 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/योजना-01-52/2016गृ0आ0 के टि0 पृ0 10/टि0 पर दिनांक-24.10.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

अक्टूबर, 2016

ज्ञापक-6/योजना-01-52/2016गृ0आ0...../

8701

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा

सरकार के अवर सचिव